न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्या : 15/2021
दायर दिनांक : 03.03.2021
निर्णय दिनांक : 18.03.2025

—: अनवान :—

ग्राम पंचायत फरारा, जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फरारा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

— प्रार्थीगण/निगराकार

बनाम

श्रीमती रूपा बाई पत्नी परसराम जी पालीवाल, जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क, निवासी फरारा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

— गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पट्टा संख्या 1515, दिनांक 06/02/1996 के विरुद्ध

उपस्थितः—

1— श्री रामलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— गैर निगराकार अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरुद्ध पट्टा संख्या 1515 दिनांक 06.02.1996 द्वारा जारी पट्टे के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत फरारा के ग्राम फरारा में आबादी भूमि आराजी संख्या 476 स्थित है। ग्राम पंचायत फरारा में विपक्षीया द्वारा निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षीया के प्रार्थना—पत्र पर ग्राम पंचायत फरारा द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 06/02/1996 को विपक्षीया के नाम निःशुल्क पट्टा जारी किया गया, जिसके पट्टा संख्या 1515, दिनांक 06/02/1996 है। पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा दिनांक 18/02/2020 की जांच रिपोर्ट के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र फरारा के आवंटन का पट्टा व रूपा बाई के नाम जारी पट्टा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

ग्राम सभा में निरस्त को नहीं मान कर श्रीमान् के यहां निगरानी पेश करने के लिए कहा गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षीया को उक्त पट्टा जारी किया गया, उस समय उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम पंचायत फरारा में अन्यत्र जगह निर्मित हो चुका था तथा ग्राम सभा दिनांक 14/10/1997 को प्रस्ताव संख्या 04 में ग्राम सभा ने दिनांक 06/08/1995 को उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम जारी पट्टे को निरस्त कर अन्यत्र चयनित स्थान बस स्टॉप फरारा के पास स्थान नियत कर उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाना आया हैं तथा प्रस्ताव संख्या 3 में रूपा बाई द्वारा एकान्त जगह व आस–पड़ौस के लोगों से खतरा होने से अपने पट्टे को प्रार्थना–पत्र देकर निरस्त करने के लिये पट्टा सरेण्डर किया। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि आराजी संख्या 476 में कोई अतिक्रमण एवं मौके पर निर्माण नहीं होने से विपक्षीया द्वारा आवेदन करने पर जांच कर निःशुल्क पट्टा संख्या 1515, दिनांक 06/02/1996 जारी किया गया था। विपक्षीया के नाम जो तथाकथित पट्टा जारी किया गया है। उक्त आबादी भूमि आराजी संख्या 476 पर पूर्व में उप स्वास्थ्य केन्द्र फरारा के नाम दिनांक 06/08/1995 को पट्टा जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र फरारा के पट्टेशुदा आबादी भूमि में से श्रीमती रूपा बाई के नाम उक्त आराजी में पट्टा संख्या 1515, दिनांक 06/02/1996 का ग्राम पंचायत फरारा द्वारा आबादी के आंशिक भाग में उक्त नया पट्टा जारी किया, जो कानूनन नहीं किया जा सकता है। उक्त पट्टा गलत जारी होने से खारिज योग्य है। विपक्षीया द्वारा भी उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत में निरस्त हेतु स्वयं द्वारा सरेण्डर किया गया, जो दिनांक 14/10/1997 की ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 3 में लिया जाकर उक्त पट्टे को सरेण्डर किया गया। दिनांक 25/09/2020 को पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा जारी सूचना–पत्र अनुसार निगरानी दायर करने का निर्देश दिया प्रदान किया गया है। दिनांक 25/09/2020 को पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा जारी सूचना–पत्र अनुसार निगरानी दायर करने का निर्देश प्रदान करने से वाद–हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जारी पट्टा संख्या 1515, दिनांक 06/02/1996 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। किन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि ग्राम पंचायत फरारा के ग्राम फरारा में आबादी भूमि आराजी संख्या 476 स्थित है। ग्राम पंचायत फरारा में विपक्षीया द्वारा निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षीया के प्रार्थना–पत्र पर ग्राम पंचायत फरारा द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 06/02/1996 को विपक्षीया के नाम निःशुल्क पट्टा जारी किया गया, जिसके पट्टा संख्या 1515, दिनांक 06/02/1996 है। पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा दिनांक 18/02/2020 की जांच रिपोर्ट के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र फरारा के आवंटन का पट्टा व रूपा बाई के नाम जारी पट्टा ग्राम सभा में निरस्त को नहीं मान कर श्रीमान् के यहां निगरानी पेश करने के लिए कहा गया है। ग्राम पंचायत द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विपक्षीया को उक्त पट्टा जारी किया गया, उस समय उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम पंचायत फरारा में अन्यत्र जगह निर्मित हो चुका था तथा ग्राम सभा दिनांक 14/10/1997 को प्रस्ताव संख्या 04 में ग्राम सभा ने दिनांक 06/08/1995 को उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम जारी पट्टे को निरस्त कर अन्यत्र चयनित स्थान बस स्टॉप फरारा के पास स्थान नियत कर उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाना आया हैं तथा प्रस्ताव संख्या 3 में रूपा बाई द्वारा एकान्त जगह व आस–पड़ौस के लोगों से खतरा होने से अपने पट्टे को प्रार्थना–पत्र देकर निरस्त करने के लिये पट्टा सरेण्डर किया। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि आराजी संख्या 476 में कोई अतिक्रमण एवं मौके पर निर्माण नहीं होने से विपक्षीया द्वारा आवेदन करने पर जांच कर निःशुल्क पट्टा संख्या 1515, दिनांक 06/02/1996 जारी किया गया था। विपक्षीया के नाम जो तथाकथित पट्टा जारी किया गया है। उक्त आबादी भूमि आराजी संख्या 476 पर पूर्व में उप स्वास्थ्य केन्द्र फरारा के नाम दिनांक 06/08/1995 को पट्टा जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र फरारा के पट्टशुदा आबादी भूमि में से श्रीमती रूपा बाई के नाम उक्त आराजी में पट्टा संख्या 1515, दिनांक 06/02/1996 का ग्राम पंचायत फरारा द्वारा आबादी के आंशिक भाग में उक्त नया पट्टा जारी किया, जो कानूनन नहीं किया जा सकता है। उक्त पट्टा गलत जारी होने से खारिज योग्य है। विपक्षीया द्वारा भी उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत में निरस्त हेतु स्वयं द्वारा सरेण्डर किया गया, जो दिनांक 14/10/1997 की ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 3 में लिया जाकर उक्त पट्टे को सरेण्डर किया गया। दिनांक 25/09/2020 को पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा जारी सूचना–पत्र अनुसार निगरानी दायर करने का निर्देश दिया प्रदान किया गया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जारी पट्टा संख्या 1515, दिनांक 06/02/1996 को निरस्त फरमाया जावे।

मैने अधिवक्ता निगराकार की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विचारणीय प्रकरण में निगराकार ने ग्राम पंचायत फरारा द्वारा विपक्षीया श्रीमती रूपाबाई पत्नि परसराम पालीवाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1515 दिनांक 06.02.1996 के विरूद्ध निगरानी याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की, कि उप स्वास्थ्य केन्द्र फरारा के पट्टेशुदा आबादी भूमि में से श्रीमती रूपाबाई के नाम ग्राम पंचायत फरारा द्वारा आबादी के आंशिक भाग में नया पट्टा जारी किया गया, जो कानुनन नहीं किया जा सकता है एवं विपक्षीया द्वारा भी उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत में निरस्त हेतु स्वयं द्वारा सरेण्डर किया गया अतः विपक्षीया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1515 दिनांक 06.02.1996 को निरस्त योग्य है।

उक्त क्रम में पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि ग्राम पंचायत फरारा द्वारा विपक्षीया श्रीमती रूपाबाई पत्नि परसराम पालीवाल के नाम आबादी भूमि का निःशुल्क पट्टा संख्या 1515 दिनांक 06.02.1996 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत फरारा से उक्त पट्टा पत्रावली तलब करने पर ग्राम पंचायत फरारा द्वारा पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया कि उक्त पट्टा/पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। निगराकार द्वारा निगरानी याचिका में यह वर्णित किया गया कि 'उप स्वास्थ्य केन्द्र फरारा के पट्टेशुदा आबादी भूमि में से श्रीमती रूपाबाई के नाम ग्राम पंचायत फरारा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

द्वारा आबादी के आंशिक भाग में नया पट्टा जारी किया गया एवं विपक्षीया द्वारा उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत में निरस्त करने हेतु स्वयं द्वारा सरेण्डर किया गया, जो दिनांक 14.10.1997 की ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 3 में लिया जाकर उक्त पट्टे को सरेण्डर किया गया परन्तु पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा उक्त पट्टे को ग्राम सभा में निरस्त नहीं मान कर पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा 25.09.2020 को सूचना पत्र जारी कर निगरानी दायर करने के निर्देश प्रदान किये गये।'' परन्तु उक्त तथ्यों के समर्थन में निगराकार द्वारा किसी प्रकार का प्रमाणित दस्तावेज/प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि पट्टेधारी रूपाबाई द्वारा स्वयं प्रश्नगत पट्टे को निरस्त कराने हेतु ग्राम पंचायत में सरेण्डर किया गया ऐसी स्थिति में प्रश्नगत पट्टा प्रभावहीन हो गया तो निगराकार द्वारा रिवीजन किस आधार पर प्रस्तुत किया गया, ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में पट्टा/पट्टा पत्रावली उपलब्ध नहीं होना बताया गया पट्टा पत्रावली के अभाव में यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने में नियमानुसार प्रक्रिया की पालना की गयी अथवा नहीं। निगराकार द्वारा निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे भी निगराकार अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यो/बिन्दुओं को सिद्ध करने में असफल रहा अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका इस निर्देश के साथ खारिज करना उचित प्रतीत होता है कि निगराकार समुचित दस्तावेज के साथ पुनः न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं। निगराकार समुचित दस्तावेज के साथ पुनः न्यायालय के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 18.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद